राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सा०का०नि० (फा०सं०ए–12018/1/2003-एन०ए०)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में कतिपय (समूह 'क' और 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :– यह नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हता आदि :– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन :– इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को अथवा उससे पूर्व राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता में नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) को इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

6. निरर्हता :– वह व्यक्ति––

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति :–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति :– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(11)	(12)
	(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :— आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (ii) किसी ऐसे तकनीकी या अनुसंधान संगठन या औद्योगिक समुत्थान में, जो कार्बनिक रसायनों और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रबंधकीय या तकनीकी पद पर पांच वर्ष का अनुभव । प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी को नियुक्त तथा इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

——

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	चयन, अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. तकनीकी अधिकारी	4* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानांतरण/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके न हो सकने पर पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5500—9000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000—8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिकी या रासायनिक इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी ऐसे तकनीकी या वाणिज्यिक संगठन या औद्योगिक संस्थान में जो कार्बनिक रसायनों और कार्बनिक रसायन उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है तकनीकी पद पर दो वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों से प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति तथा इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

राजू शर्मा, संयुक्त सचिव

NATIONAL AUTHORITY
CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

New Delhi, the 30th December 2004

G.S.R. (F. No. A. 12018/1/2003-NA)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain (Group 'A' and 'B') posts in the National Authority for the Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scales of pay :—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Initial Constitution :—Any person(s) appointed in the National Authority for Chemical Weapons Convention, on or before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules.

6. Disqualification,—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

7. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

8. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Technical Officer	*04 (2004) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	5500-200-10500	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government falling which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognised research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: ESSENTIAL : (i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised Unversity or Institute or equivalent. (ii) Two years' experience in a technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry. [Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutes or autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

RAJU SHARMA, Joint Secy.